पत्रांक–9/सै0 जहानाबाद–I–37/2025–1908(9)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–17/07/2026

विषयः– सैरातों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई ससमय किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया जी का पत्रांक–972, दिनांक–24.02.2026 एवं समाहर्त्ता, जहानाबाद का पत्रांक–223/जि0यो0, दिनांक–12.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में कहना है कि विभागीय परिपत्र सं0–1637(9), दिनांक–03.06.2025 द्वारा सैरातों की बन्दोबस्ती एवं प्रबंधन हेतु विस्तृत दिशा–निदेश संसूचित है। इसी प्रकार विभागीय परिपत्र सं0–3454(9), दिनांक–13.10.2025 द्वारा सैरातों की बन्दोबस्ती की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव एवं अभिलेख विभागीय दिशा–निदेशों के अनुरूप तथा ससमय विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निदेश संसूचित है। उक्त के आलोक में विभिन्न सैरातों की बन्दोबस्ती का प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा के साथ विभाग को प्राप्त कराए जाते हैं।

परन्तु, अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कतिपय सैरातों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई में विभागीय दिशा–निदेशों एवं एतद्संबंधी निर्गत चेक–लिस्ट का अनुपालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होता है तथा ससमय सैरात की बन्दोबस्ती नहीं होने से राजस्व की क्षति होती है। जहानाबाद जिलान्तर्गत बराबर पहाड़ मेला की बंदोबस्ती की स्वीकृति संबंधी अभिलेख के परिशीलनोपरांत ज्ञात हुआ है कि सैरात बंदोबस्ती से प्राप्त राशि में से ही GST की राशि जमा की गई है। जबकि Central Tax (Rate) संबंधी Notification No.-13/2017, दिनांक–28.06.2017 एवं CGST Act के प्रावधानानुसार उच्चतम डाकवक्ता को ही GST की राशि संबंधित शीर्ष में अलग से जमा करना चाहिए था।

अतएव अनुरोध है कि सैरातों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई विभागीय दिशा–निदेशों के अनुरूप ससमय किया जाय, इसके लिए अपने प्रमंडल के अंतर्गत सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु निरंतर समीक्षा किया जाय। साथ ही, सभी संबंधितों द्वारा विभागीय दिशा–निदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 17/7/26
सचिव।

ई–मेल

ज्ञापांक–9/सै0 जहानाबाद–I–37/2025–1908(9)/रा0, पटना–15, दिनांक–17/07/2026

प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह) 17/7/26
सचिव।

D:\Vidyasagar Seron 9\2026\letter_(9) 26.doc 146